

**भारत सरकार**  
**विदेश मंत्रालय**  
**लोक सभा**  
**अतारांकित प्रश्न संख्या - 2300**  
**दिनांक 01.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**अन्य देशों के युद्ध क्षेत्रों से भारतीयों का निष्कासन**

2300. श्री बैत्री बेहनन:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान युद्ध या सशस्त्र संघर्ष से प्रभावित अन्य देशों से निकाले गए भारतीय नागरिकों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) प्रत्येक संघर्ष के दौरान किए गए निकासी अभियानों का देश-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन निकासी अभियानों पर सरकार द्वारा परिवहन, आवास और अन्य रसद सहायता सहित कुल कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या निष्कासित लोगों से कोई राशि ली गई या उन्हें निःशुल्क सहायता प्रदान की गई;

(ङ) क्या सरकार वर्तमान और भविष्य के विदेशी संघर्ष क्षेत्रों में ऐसे निकासी अभियान जारी रखने की योजना बना रही है, यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(च) युद्धग्रस्त देशों में कार्यरत या निवासरत भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या व्यवस्थाएँ हैं; और

(छ) क्या सरकार ने आपातकालीन निकासी सहायता के लिए विदेशी सरकारों, एयरलाइनों या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समझौते किए हैं, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्तर**  
**विदेश राज्य मंत्री**  
**(श्री कीर्तवर्धन सिंह)**

(क से घ) पिछले दो वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने संघर्ष क्षेत्रों से 9779 फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। इन निकासी अभियानों के दौरान, सरकार ने फंसे हुए भारतीय नागरिकों के लिए निःशुल्क विशेष निकासी उड़ानों की व्यवस्था करके सुरक्षित आश्रय, भोजन और अंतर्राष्ट्रीय परिवहन सहित संभार तंत्रीय सहायता प्रदान की। निकासी अभियानों का देश-वार विवरण और उस पर हुए व्यय का विवरण नीचे दिया गया है।

वर्ष	देश और ऑपरेशन का नाम	निकाले गए भारतीय नागरिकों की संख्या	निकासी पर किया गया व्यय (₹ में)
2023	सूडान ऑपरेशन कावेरी	4,097 (136 विदेशी नागरिकों सहित)	45.63 करोड़
2023	इज़राइल	1,343 (14 ओसीआई कार्ड धारक)	16.87 करोड़

	ऑपरेशन अजय	और 20 विदेशी नागरिक सहित)	
2024	हेती ऑपरेशन इंद्रावती	17	48.34 लाख
2024	सीरिया	77	39.95 लाख
2025	ईरान ऑपरेशन सिंधु	3597 (साथ ही 14 ओसीआई कार्ड धारक और 14 विदेशी नागरिक)	आज दिनांक तक 27.68 करोड़ रु.
2025	इज़राइल ऑपरेशन सिंधु	818	

(ड से छ ) सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा, संरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। सरकार युद्ध क्षेत्रों में विकसित हो रही प्रतिकूल परिस्थितियों पर कड़ी नज़र रखती है। मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार, सरकार भारतीय नागरिकों को अनावश्यक यात्रा से बचने, स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करने और प्रकाशित हेल्पलाइन नंबरों पर भारतीय मिशनों के संपर्क में रहने के लिए सावधान करने हेतु परामर्शी जारी करती है। भारतीय नागरिकों के लिए ईमेल, बहुभाषी 24x7 आपातकालीन नंबरों, सोशल मीडिया, टोल फ्री हेल्पलाइन, व्हाट्सएप नंबर आदि के माध्यम से भारतीय मिशनों/केंद्रों से संपर्क करने के लिए विभिन्न अन्य संचार तंत्र मौजूद हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति में, सरकार संघर्ष क्षेत्रों से फंसे भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए निकासी अभियान शुरू करती है। निकासी प्रक्रिया के दौरान, फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सूचना और सहायता प्रदान करने और उनकी निकासी को सुविधाजनक बनाने के लिए मुख्यालय और विदेशों में 24x7 नियंत्रण कक्ष संचालित किए जाते हैं। सरकार युद्ध क्षेत्रों में रहने वाले भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार विदेशी सरकारों के साथ निरंतर संपर्क में रहती है। सरकार भारतीय नागरिकों की सुरक्षित निकासी को सुगम बनाने के लिए भारतीय मिशनों के साथ समन्वय करते हुए विभिन्न घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइनों, शिपिंग कंपनियों और ट्रेवल एजेंसियों के साथ मिलकर काम करती है। सरकार विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और आवश्यकता पड़ने पर इन प्रयासों को शुरू करती है।

\*\*\*\*\*